

मांगु बनाम दीपाराम व अन्य  
प्र0सं0-: 96/2023(रे0वाद)  
निर्णय दिनांक:-16/07/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमंद  
(पीठासीन अधिकारी:- अर्चना चौधरी , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 96/2023(रे0वाद)

दायर दिनांक - 11/09/2023

निर्णय दिनांक - 16/07/2025

अनवान

1. मांगु पिता गोपी जाति भील निवासी परबती, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राजस्थान

वादी

-: : बनाम : :-

1. दीपाराम पिता भागीरथ जाति भील निवासी माता का खान मगरा पूंजला जोधपुर राजस्थान
2. तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री ईन्द्रमल कंसारा, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से - प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित,

प्रतिवादी संख्या 02 पैरोकार सरकार उपस्थित।


वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादी एव प्रतिवादी के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम भंवरड़िया पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 206 खसरा न. 27 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 30 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा संख्या 31 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा संख्या 32 रकबा 0.8000 हैक्टर कुल कित्ता 4 रकबा 2.1600 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं एवं उसी अनुसार वादी अपने हिस्से कि भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहा है। शेष आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने



1

  
सहायक कलक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मांगु बनाम दीपाराम व अन्य  
प्र0सं0-: 96 / 2023(रि0वाद)  
निर्णय दिनांक:-16 / 07 / 2025

उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मंध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	दीपाराम पुत्र भागीरथ हिस्सा पूर्ण जाति भील नि0 माता का खान मगरा पूंजला जोधपुर खातेदारी	31 30 27 / 1	0.6000 0.1000 0.0200	बीड 1 चाही 2 बीड 1
	<b>योग</b>	<b>किता-03</b>	<b>0.7200</b>	
2.	मांगु पुत्र गोपी हिस्सा पूर्ण जाति भील नि0 परबती त0 रायपुर खातेदारी	27 / 2 32	0.6400 0.8000	बीड 1 बीड 1
	<b>योग</b>	<b>किता-02</b>	<b>1.4400</b>	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर देवगढ़  
देवगढ़ जिला, राजसमन्त

मांगु बनाम दीपाराम व अन्य  
प्र0सं0-: 96 / 2023(रि0वाद)  
निर्णय दिनांक:-16 / 07 / 2025

डिक्री व मुकदमे इत्दादाई  
मूल वाद मे डिक्री ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )  
न्यायालय सहायक कलेक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) देवगढ़ जिला राजसमन्द  
पीठासीन अधिकारी :- अर्चना चौधरी आर0ए0एस0  
राजस्व वाद संख्या :- 96 / 2023

अनवान

1. मांगु पिता गोपी जाति भील निवासी परबती, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राजस्थान

वादी

-: : बनाम : :-

1. दीपाराम पिता भागीरथ जाति भील निवासी माता का खान मगरा पूंजला जोधपुर राजस्थान
2. तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण


उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री ईन्द्रमल कंसारा, अधिवक्ता  
प्रतिवादी की ओर से - प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित,  
प्रतिवादी संख्या 02 पैरोकार सरकार उपस्थित।

में इस आशय दिनांक 16/07/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी एव प्रतिवादी के संयुक्त रूप से कृषि आराजियात ग्राम भचरड़िया पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के वर्तमान खाता संख्या 206 खसरा न. 27 रकबा 0.6600 हैक्टर, खसरा संख्या 30 रकबा 0.1000 हैक्टर, खसरा संख्या 31 रकबा 0.6000 हैक्टर, खसरा संख्या 32 रकबा 0.8000 हैक्टर कुल कित्ता 4 रकबा 2.1600 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 2/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं एवं उसी अनुसार वादी अपने हिस्से कि भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहा है। शेष आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

3



  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द


मांगु बनाम दीपाराम व अन्य  
प्र0सं0-: 96 / 2023(रि0वाद)  
निर्णय दिनांक:-16 / 07 / 2025

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म
1.	दीपाराम पुत्र भागीरथ हिस्सा पूर्ण जाति भील नि0 माता का खान मगरा पूंजला जोधपुर खातेदारी	31 30 27 / 1	0.6000 0.1000 0.0200	बीड 1 चाही 2 बीड 1
	योग	किता-03	0.7200	
2.	मांगु पुत्र गोपी हिस्सा पूर्ण जाति भील नि0 परबती त0 रायपुर खातेदारी	27 / 2 32	0.6400 0.8000	बीड 1 बीड 1
	योग	किता-02	1.4400	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे।  
पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(अर्चना चौधरी R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर देवागढ़  
जिला राजसमन्द